



विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययन महाविद्यालय
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय,
उदयपुर (राज.)

समांक: वि.वा.प्र.अ.म./वि.शा./2024--25/309

दिनांक: 31-01-2025

सूचना

छात्रनिधि सहायता कोष सत्र 2024-25

महाविद्यालय के समस्त नियमित विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। जिन विद्यार्थियों का प्रवेश दिनांक 31.01.2025 तक महाविद्यालय हो चुका है। वे छात्रनिधि सहायता कोष सत्र 2024-25 के आवेदन पत्र रोकड़ शाखा से प्राप्त कर दिनांक 15 फरवरी 2025 साय 03:00 बजे तक आवश्यक रूप से समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करावें।

इस हेतु सामान्य नियम इस प्रकार हैं--

1. छात्र अन्यत्र किसी स्रोत से छात्रवृत्ति नहीं ले रहा है।
2. ऐसे विद्यार्थी, जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो।
3. ऐसे विद्यार्थी, जिनके परिवार में आय के साधन न के बराबर हो।
4. ऐसे विद्यार्थी, जिनके पिता का देहावसान हो चुका हो।
5. ऐसे विद्यार्थी, जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हो।
6. ऐसे विद्यार्थी, जिनके पिता सरकार द्वारा स्थापित मापदण्ड के अन्तर्गत शहीद की श्रेणी में आते हों।
7. इच्छुक विद्यार्थियों की पारिवारिक वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
8. आवेदन पत्र के साथ नवीनतम आय प्रमाण पत्र संलग्न करें।
9. छात्र जिस आधार से छात्रनिधि सहायता कोष से सहायता चाहता है। उसका प्रमाण पत्र संलग्न करें।
10. आवेदन पत्र में दर्शाया गया घोषणा पत्र 20/-रु के नॉन-ज्युडिशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा सात्यापित कर संलग्न करें।


DEAN

University College of Commerce & Mgt. Studies
M.L. Sukhadia University, UDAIPUR

आवश्यक दस्तावेजों की सूचना निर्धारित फार्म में लिखी हुई जो महाविद्यालय की रोकड़ शाखा से प्राप्त किया जा सकता है तथा पूरी तरह से भरा हुआ फार्म तथा दस्तावेजों के साथ अन्तिम तिथि तक जमा करावें।

प्रतिलिपि:-

1. समन्वयक, एस.यु.एम.एस को भेज कर लेख है कि उपरोक्त सूचना आज ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं पोर्टल पर अपलोड करावे।
2. महाविद्यालय नोटिस बोर्ड।


DEAN

University College of Commerce & Mgt. Studies
M.L. Sukhadia University, UDAIPUR